संख्या–675/xxxi(15)G/25-06(सा0)/2016

प्रेषक,

विनोद कुमार सुमन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/विशेष प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त,गढ़वाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादूनः दिनांक 14 मई, 2025

विषयः–सूचना का अधिकार, 2005 के तहत आवेदन शुल्क और अतिरिक्त शुल्क नकद जमा किये जाने पर शुल्क की प्राप्ति दिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पत्र संख्या–385, दिनांक 05 मई, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नकद आवेदन शुल्क और अतिरिक्त शुल्क आवेदक के द्वारा जमा किये जाने पर संलग्न प्रारूप पर धनराशि प्राप्ति का प्रमाण–पत्र अनुरोधकर्ताओं को निर्गत करने एवं जमा की गयी धनरशि को लोक सूचना अधिकारी स्वयं अथवा अपने आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से नियमानुसार ई–चालान/अन्य माध्यम से राजकोष में जमा किये जाने हेतु राज्य के समस्त लोक प्राधिकारियों को निर्देशित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 के नियम 6(क) में प्रावधान किया गया है कि "अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन सूचना हेतु आवेदन पत्र के साथ लोक प्राधिकारी के लोंक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी के नाम संदेय रू0 10.00 मात्र का शुल्क उचित रसीद के प्रति नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से संदाय किया जा सकेगा। अधिनियम के तहत अतिरिक्त शुल्क को भी लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी के नाम संदेय शुल्क रसीद के प्रति नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से संदाय किया सकेगा"।

मा0 सूचना आयोग द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि पोस्ट ऑफिस में प्रायः रू0 10 का पोस्टल ऑर्डर उपलब्ध न होने की शिकायत आयोग को प्राप्त हो रही हैं ऐसे स्थिति में लोक सूचना अधिकारी और सहायक लोक सूचना अधिकारी के द्वारा नकद शुल्क लिये जाने से मना किया जाने

Scanned with OKEN Scanner

पर नागरिकों को सूचना प्राप्त करने में असुविधा होगी। जबकि अन्य राज्यों में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत शुल्क की प्राप्ति नकद रूप में की जा रही है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने–अपने नियंत्रणाधीन विभागान्तर्गत समस्त लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी को इस आशय से निर्देशित करने का कष्ट करें कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नकद आवेदन शुल्क और अतिरिक्त शुल्क आवेदक के द्वारा जमा करने पर संलग्न प्रारूप पर धनराशि प्राप्ति का प्रमाण–पत्र अनुरोधकर्ताओं को निर्गत करते हुए नियमानुसार धनराशि राजकोष में जमा की जाय।

इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित करने का कष्ट करें कि लोक सूचना अधिकारी और सहायक सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदकों से नकद शुल्क लिये जाने से मना नहीं किया जायेगा।

संलग्नकः– यथोपरि।

Digitally signed by
Vinod Kumar Suman
Date: 14-05-2025
10:04:52

भवदीय,

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव

संख्या–675/xxxi(15)G/25-06(सा0)/2016 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग को उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. गार्ड फाईल।

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव

Scanned with OKEN Scanner

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून

दूरभाष न0– 0135–2675780, फैक्स न0– 0135–2675779

ईमेल : secy-uic@gov.in वैब: http://uic.uk.gov.in

पत्रांक 385 /व्य0प0/स्था0/उ0सू0अ0/2025–26 दिनांक 05.03.25

सेवा में,

सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

विषय :– **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन शुल्क और अतिरिक्त शुल्क नकद जमा किये जाने पर शुल्क की प्राप्ति दिए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया वित्त (सा0नि0–वे0आ0)अनुभाग–07, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या 76/XXVII(7)/2005 दिनांक 26.12.2005 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रदेश के विभिन्न विभागों से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित शुल्क को जमा कराने और शुल्क की प्राप्ति हेतु वि०नि० सं०: खण्ड 5 के भाग–1 के प्रस्तर–1 के प्रपत्र 385 की व्यवस्था की गयी थी। संबंधित कोषागारों को निर्देशित किया गया था कि वे प्रपत्र 385 की प्राप्ति की रसीद आवश्कतानुसार संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से लोक सूचना अधिकारियों को समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करायें और यह भी देख लें कि रसीद बुक की कमी न हो।

वित्त अनुभाग–06, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या 566/XXVII(6)/430/ एक/2016/2020 दिनांक 31.12.2020 के द्वारा **राज्य सरकार की सभी प्राप्तियॉं मैनुअल चालान के स्थान पर ई–चालान के माध्यम से जमा किये जाने की प्रकिया प्रख्यापित की गयी है। जिसके तहत** ऑनलाईन चालान के साथ वर्तमान में मैनुअल चालान के माध्यम से जमा की जानी वाली सरकारी प्राप्तियों को भी ई–चालान पोर्टल के माध्यम से जमा किया जा सकेगा तथा नियम 21 में उल्लेख किया गया है कि **"ई–चालान सुविधा दिनांक 01.04.2021 से पूर्ण रूप से लागू हो जाने के पश्चात शासकीय प्राप्तियों हेतु प्रयुक्त 385 की मैनुअल व्यवस्था समाप्त हो जायेगी। जमाकर्ता सीधे आईएफएमएस पोर्टल से ई–चालान जनरेट करेंगे।**

उल्लेखनीय है कि वित्त अनुभाग–06, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या 566/XXVII(6)/430/ एक/2016/2020 दिनांक 31.12.2020 के द्वारा लागू की गयी उपरोक्त व्यवस्था के कम में कतिपय लोक सूचना अधिकारी के द्वारा **शासकीय प्राप्तियों हेतु प्रयुक्त 385 की मैनुअल व्यवस्था समाप्त** होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत नकद रू0 10/– आवेदन शुल्क प्राप्त किये जाने से मना किया जा रहा है। संबंधित के द्वारा ई–चालान के माध्यम से शुल्क जमा किये जाने की अपेक्षा की जा रही है।

उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 के नियम 6(क) में प्रावधान किया गया है कि "अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन सूचना हेतु आवेदन पत्र के साथ लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी के नाम संदेय **रू0 10.00 मात्र का शुल्क उचित रसीद के प्रति** नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से संदाय किया जा सकेगा"। अधिनियम के तहत अतिरिक्त शुल्क को भी लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी के नाम संदेय **शुल्क उचित रसीद के प्रति** नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से संदाय किया जा सकेगा"।

उल्लेखनीय है कि पोस्ट ऑफिस में प्रायः रू0 10 का पोस्टल ऑर्डर उपलब्ध न होने की शिकायत आयोग को प्राप्त हो रही हैं। ऐसे स्थिति में लोक सूचना अधिकारी और सहायक लोक सूचना अधिकारी के द्वारा नकद शुल्क लिये जाने से मना किया जाने पर नागरिकों को सूचना प्राप्त करने में असुविधा होगी। जबकि अन्य राज्यों में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत शुल्क की प्राप्ति नकद रूप में की जा रही है।

उपरोक्त संदर्भ में मा0 मुख्य सूचना आयुक्त महोदया के द्वारा आपसे यह अनुरोध किये जाने का निर्देश हुए हैं कि कृपया राज्य के समस्त लोक प्राधिकारियों को यह निर्देश जारी करने का कष्ट करें कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नकद आवेदन शुल्क और अतिरिक्त शुल्क आवेदक के द्वारा जमा किये जाने पर पत्र के साथ संलग्न प्ररूप पर धनराशि प्राप्ति का प्रमाण पत्र अनुरोधकर्ताओं को निर्गत किया जाए और जमा की गयी धनराशि को लोक सूचना अधिकारी स्वयं अथवा अपने आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से नियमानुसार ई–चालान के माध्यम से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीय

(रज़ा अब्बास)
सचिव

पत्रांक 385 **/व्य0प0/स्था0/उ0सू0अ0/2025–25** **दिनांक** 05-05-25

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यकता कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव मा0 मुख्य सूचना आयुक्त को मा0 मुख्य सूचना आयुक्त महोदया को अवलोकनार्थ।

(रज़ा अब्बास)
सचिव

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत शुल्क की प्राप्ति

श्री/श्रीमती/कु. .....

पता ..... ने

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन शुल्क रू0 10/– (रू0 दस मात्र) अथवा धारा 7 के तहत अतिरिक्त शुल्क रू0 ..... (धनराशि रू0 .....) दिनांक ..... को नकद जमा किया ।

दिनांक .....

हस्ताक्षर .....

लोक सूचना अधिकारी का नाम .....

पदनाम .....

पता .....

(स्टाम्प सहित)